उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग–2
संख्या–77 / 2020 / एस–2–1704 / दस–2020–128 / 2016
लखनऊ : दिनांक :: 21 अक्टूबर, 2020

विज्ञप्ति / नियुक्ति

सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के चयन के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड–3 रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 / – (लेविल–10) में कोषाधिकारी / लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:–

क0	नाम / पिता का नाम	पता
1	सुश्री प्राची वर्मा पुत्री श्री मुरली धर	645ए / 714, साठ फिटा रोड, फूल विहार कालोनी, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ–226021

(1) उक्त अभ्यर्थी आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित सूचनायें / प्रमाण पत्र 02 प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे:–
   (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।
   (ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा
   (ग) एक से अधिक पति / पत्नी न होने की घोषणा।
   (घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण पत्र।
   (घ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा,जिसके वे स्थाई सदस्य हों।
   (च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।
   (छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।
   (ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण पत्र।
   (झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार उक्त अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होंगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट / विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट / स्वास्थ्य परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो इनकी नियुक्ति / अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) यदि उक्त निर्धारित अवधि में वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई प्रार्थनापत्र उक्त अवधि के अन्दर शासन को प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं, तो यह माना जायेगा कि वे कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उनका अभ्यर्थन नियमानुसार

निरस्त कर दिया जायेगा, किन्तु यदि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई आवेदन पत्र, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए समयान्तर्गत दिया जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में 01 माह तक और बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु यदि इसके बावजूद भी उनके द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन स्वयमेव समाप्त हो जायेगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम–24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली,2013 के नियम–4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(6) उक्त अभ्यर्थी को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(7) पदभार ग्रहण करने के पश्चात सम्बन्धित अधिकारी को निदेशक कोषागार,उ0प्र0 लखनऊ तत्काल आधारभूत कोर्स एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु अपने स्तर से सम्यक आदेश/निर्देश जारी किये जायेंगे।

(8) सम्बन्धित अधिकारी को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली–भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह ज्ञात हो कि वे नियमित सम्वर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(9) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्तें उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सम्बन्धित अधिकारी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(10) प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमों के अनुसार किया जायेगा।

एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–77/2020/एस–2–1704(1)/दस–2020–128/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– संयुक्त सचिव, कार्मिक अनुभाग–4 को उनके पत्र संख्या–आ–419/का–4–2019, दिनांक 09–12–2019 के सन्दर्भ में ।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4– निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ

124

6— निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
7— अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
9— अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु ।
10— संबंधित अधिकारी।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।